

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	मुं.नं. 08/2024 प्राचीन पत्र स्थानांतरण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान - आनीलाल बनाम श्रीमती रेखा श्रीमती आर. ड. वसवा	नम्बर व तारीख अहवाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---	--

28-11-24

पत्रावली पेज हुई। अधिवक्ता अजर्जी के 2 लजा 4 उपस्थित। अधिवक्ता अर्जी को बार 2 आवाज लगाई गई किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अधिवक्ता अजर्जी के 2 लजा 4 को सुना गया। अधिवक्ता अजर्जी के 2 लजा 4 द्वारा निवेदन किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा में विचारणीय प्रकरण मुं.नं. 7/2024 उनवानी आनीलाल बनाम आजाद एवं मुं.नं. 6/2024 का शीघ्र निस्तारण हेतु अन्य सहाय न्यायालय में स्थानांतरित किया जा रहा है जो कि आपत्ति नहीं है।

No objection
नहीं है


अधिवक्ता अजर्जी के 2 लजा 4 के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अजर्जी के 2 लजा 4 द्वारा अनापत्ति जोदिर करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा में विचारणीय मुं.नं. 6/2024 एवं 7/2024



उनवानी आनीलाल बनाम आजाद को अन्य सहाय न्यायालय में स्थानांतरण करने वाला अर्जी आनीलाल पुत्र श्यामलाल यादव (अधीर) निवासी खोहरा तहसील बसवा द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानांतरण स्वीकार किया जा रहा है। उपखण्ड अधिकारी बसवा को निर्देशित किया जा रहा है कि प्रकरण से संबंधित पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोड में भिजवाई। उपखण्ड अधिकारी लालसोड उक्त पत्र के सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त पत्र अथवा अधिवक्ता उक्त पत्र दिनांक 20-12-24 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोड में उपस्थित होकर निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी बसवा एवं उपखण्ड अधिकारी लालसोड को भिजवाई जाके पत्रावली के सल सुनवाई का क्रम नम्बर से क्रम हो एवं बाह्य प्रति प्रतिषेध अमिलेयाकार की जाके निर्णय आज दिनांक 28-11-2024 को मेरे द्वारा मुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (सुमित्रा पारीक)
 अति० जिला कलक्टर
 दौसा (राज.)